

E-office File No.NCSC-CCEL06/1/2022-UA-(Admin) [51667] Government of India National Commission for Scheduled Castes (A Constitutional body set up under Article 338 of the Constitution of India)

5th Floor, Lok Nayak Bhawan Khan Market, New Delhi-110003 Dated: 22nd August, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Minutes of 7th Full Commission Meeting of NCSC.

Please find enclosed Minutes of 7th Full Commission Meeting of National Commission for Scheduled Castes (NCSC) held on 10th June, 2022 in the NCSC Headquarters at 5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi. The same is being forwarded to all concerned for action as at their end.

Encl: As Above

(Kishan Chand) Under Secretary to the Govt. of India

To (through email)-

- 1. PS/APS to Hon'ble Chairman/Vice-Chairman/Member (SRP)/Member (AB), NCSC
- 2. Sr.PPS/PPS/PS/PA to Secretary (SJE)/ Secretary (NCSC).
- 3. Joint Secretary (SCD-A & BC), SJE/ Joint Secretary (NCSC).
- 4. Dir. (HQ), DS(A), NCSC, New Delhi.
- 5. All Directors in the NCSC Headquarters and NCSC State Offices.
- 6. All Officials in the NCSC Headquarters and NCSC State Offices.
- 7. Notice Board.

दिनांक 10.06.2022 को हुई पूर्ण आयोग की सातवीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 10 जून, 2022 को आयोग मुख्यालय में आयोजित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 7वीं बैठक में सबसे पहले, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों कास्वागत किया।प्रतिभागियों की सूची <u>अनुबंध-1</u> पर है । निम्नलिखित कार्यसूची मदों पर चर्चा की गई।

कार्यसूची मद संख्या 1: दिनांक 13.12.2021 को हुई पूर्ण आयोग की छठी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि । लिया गया निर्णय: पूर्ण आयोग की छठी बैठक के कार्यवृत्तको सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

कार्यसूची मद संख्या 2: आयोग के मूल्यांकन हेतु मामले लिया गया निर्णय:

- 1. आयोग को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि-
- (क) डी.ओ.पी.टी. के साथ मामले को गंभीरता से उठाने के बाद. डी.ओ.पी.टी. ने सी.एस.एस./सी.एस.सी.एस./सी.एस.एस.एस. अधिकारियों/कर्मचारियों को सीधे आयोग में तैनात करना থাৰু कर दिया है। अब आयोग सी.एस.एस./सी.एस.सी.एस./सी.एस.एस.एस. अधिकारियों/अधिकारियों की तैनाती के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय पर निर्भर नहीं है। [कार्यसूची मद संख्या 2 का क्रमांक 1]
- (ख) कर्मचारी चयन आयोग के साथ आयोग का एक अलग खाता खोला गया है और अब आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से इसे रूट करने के बजाय सीधे कर्मचारी चयन आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेजने में सक्षम है। आयोग ने यह भी नोट किया कि अब तक अन्वेषक के 19 पदों, वरिष्ठ अन्वेषक के 04 पदों और एलडीसी के 06 पदों को भरने का प्रस्ताव कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया गया है। [कार्यसूची मद संख्या 2 के क्रमांक 2 (क), 2(ग), 2(घ) और 2(ड.)]
- (ग) आयोग में भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) के अधिकारियों की तैनाती के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम.ओ.एस.एंड.पी.आई.) के साथ मामले को गंभीरता से लेने के बाद, एक उप निदेशक (आई.एस.एस.) को आयोग में तैनात किया गया है और आयोग मेंसांख्यिकी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। मामले को अभी भी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है और आई.एस.एस. के अन्य अधिकारियों को जल्द ही आयोग में तैनात किए जाने की संभावना है। सांख्यिकी प्रकोष्ठ से आयोग के डेटा संग्रह और डेटा विश्लेषण तंत्र को बदलने की उम्मीद है।

[कार्यसूची मद सं.2 का क्रमांक 2(ख)]

- (घ) वरिष्ठ अन्वेषक के 06 रिक्त पदों, अनुसंधान अधिकारी के 04 पद और लेखाकार के 01 रिक्त पद काफी लम्बे समय से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाने के लिए रिक्त है जिनके लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए हैं। <u>[कार्यसूची मद सं.2 की क्रम संख्या 2 (घ), 2(ड.) और 2(ट)]</u>
- (ड.) निदेशक (संयुक्त संवर्ग) के 06 पदों, उप निदेशक (संयुक्त संवर्ग) के 02 पदों और सहायक निदेशक (संयुक्त संवर्ग) के 03 पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये पद काफी लंबे समय से खाली थे। ऐसा मंत्रालय की सुविधा के लिए किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय सभी समूह'क'पदों के लिए संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण है।

[कार्यसूची मद सं.२ की क्रम संख्या २ (च), २(छ) और २(ज)]

- (च) संवर्ग नियंत्रण और नियुक्ति प्राधिकरण होने के नाते, सहायक निदेशक (संयुक्त संवर्ग) सीधी भर्ती कोटा के 03 पदों को भरने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया है। <u>[कार्यसूची मद संख्या 2 का क्रमांक 2(च)]</u>
- (छ) उपमहानिरीक्षक(पुलिस) के पद को भरने के लिए मामले पर जोर दिया जा रहा है जो वर्ष 2015 से खाली पड़ा है। आयोग ने फैसला किया कि डी.आई.जी.(पी) के पद को आयोग द्वारा विज्ञापित किया जाए, ताकि एन.सी.एस.सी.मेंडी.आई.जी.(पी)के रिक्तपद को भरने गृह मंत्रालय को सुविधा हो।
 - <u>[कार्यसूची मद सं.2 का क्रमांक 2(ट)]</u>
- (ज) लंबे समय से लंबित बिलों का निस्तारण कर दिया गया है। साथ ही, आयोग ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड की दोबारा जांच की जा सकती है कि कोई पुराना बिल लंबित तो नहीं है। यदि कोई बिल भुगतान के लिए लंबित है, तो उसे तुरंत संसाधित/समाप्त किया जा सकता है और अब से बिलों का समय से निपटान करने के लिए और भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं। यदि बिलों में कोई कमी/विसंगति है, तो उसे अनिश्चित काल तक लंबित रखने के बजाय संबंधित पक्ष या संबंधित अभिलेखों/राज्य कार्यालयों के साथ इनका समाधान किया जाए। इसके अतिरिक्त, चूंकि आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों को समय पर भुगतान करने के संबंध में आउटसोर्स एजेंसी की सेवा संतोषजनक नहीं है, इसलिए सचिव, एनसीएससी ने इच्छा व्यक्त की है कि एक अन्य आउटसोर्सिंग एजेंसी को काम पर रखने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए और इस बीच, एजेंसी, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी उपलब्ध करा

रही है, को कुछ समय के लिए काम पर रखा जाए ताकि आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर उनका वेतन प्राप्त करने में कठिनाई का सामना न करना पड़े।

[कार्यसूची की मद सं.2 की क्रम संख्या 3]

- (झ) बजट पुन: समाधान प्रक्रिया; जो किया जाना चाहिए था लेकिन आयोग में नहीं किया जा रहा था; अब शुरू किया गया है। [कार्यसूची की मद संख्या 2 की क्रमांक 4]
- (ट) आयोग के सदस्यों और अधिकारियों की जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोग में उप सलाहकार, नीति आयोग द्वारा एक प्रस्तुति का आयोजन किया गया। इससे आयोग के अधिदेश का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा सकेगा। आयोग ने इच्छा व्यक्त की कि ऐसी बैठकें/प्रस्तुतिकरण का आयोजन समय-समय पर किया जाना चाहिए।

<u>[कार्यसूची मद संख्या 2 का क्रमांक 5]</u>

- (ठ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राज्य कार्यालय, लखनऊ के लिए आवंटित नए कार्यालय स्थान का नवीनीकरण किया गया है और राज्य कार्यालय लखनऊ ने नए कार्यालय परिसर से काम करना शुरू कर दिया है। [कार्यसूची की मद सं.2 की क्रम संख्या 6 (ख)]
- (ड) गुवाहाटी में आयोग केराज्य कार्यालय ने नए किराए के परिसर से काम करना शुरू कर दिया है क्योंकि पिछले मकान मालिक के साथ बहुतसारीसमस्याएं थी।

[कार्यसूची मद सं.2 का क्रमांक 6 (ग)]

2. लोकनायक भवन की चौथी मंजिलपर आयोग के मुख्यालय के लिए कार्यालय स्थान के आवंटन के संबंध में, आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आयोग जब्त संपत्तियों के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (ए.टी.एफ.पी.) द्वारा नवीनीकरण पर किए गए खर्च का भुगतान नहीं करेगा। ए.टी.एफ.पी. द्वारा किया गया अनुकूलित नवीनीकरण कार्य आयोग के किसी काम का नहीं है। यह भी निर्णय लिया गया कि चौथी मंजिल पर कार्यालय स्थान का कब्जा लेने की औपचारिकताएं तुरंत पूरी की जाएं।

[कार्यसूची की मद सं.2 की क्रम संख्या 6 (क)]

3. कोलकाता में राज्य कार्यालय के लिए कार्यालय स्थान के आवंटन के संबंध में [जिसमें सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स में कार्यालय स्थान के 3,000-3,5000 वर्ग फुट के अनुरोध के बजाय, निजाम पैलेसमें 1200 वर्ग फुट कार्यालय स्थान प्रदान किया गया है] और राज्य कार्यालय, मुंबई के लिए कार्यालय स्थल के आबंटन [जहां आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को कार्यालय स्थान आवंटित करना बाकी है], आयोग चाहता है कि लंबे समय से लंबित इन मुद्दों को सुलझाने के लिए सचिव, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को बैठक के लिए बुलाया जाए। <u>[कार्यसूची की मद संख्या 2 की क्रम संख्या 6 (घ) और 6 (ड.)]</u>

- 4. आयोग ने इस तथ्य पर प्रसन्नता व्यक्त की कि अब लगभग 80% खरीद जैम के माध्यम से की जाती है; जो पहले केवल 20% थी। इसके अलावा, आयोग के मुख्यालय और राज्य कार्यालयों के लिए आई.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर की खरीद के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि अपेक्षित विभिन्न उपकरणों की खरीद करते समयउनके विशेष विवरण को एन.आई.सी. के साथ परामर्श के पश्चात् तय किया जाए। [कार्यसूची मद सं.2 का क्रमांक 7]
- 5. सह-सत्रावसान(को-टर्मिनस) कर्मचारियों की नियुक्ति-पूर्व औपचारिकताओं को पूरा करने के संबंध में आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यह विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक मामला है और इसे उचित रूप से प्रशासन प्रभाग द्वारा निपटाया जाना चाहिए। इसे कार्यसूची मद से हटाया गया माना जा जाए।

मद संख्या-3 पूर्ण आयोग की 13.12.2021 को आयोजित छठी बैठक में लिए गए निर्णय पर की गई कार्रवाई

लिया गया निर्णयः

पूर्ण आयोग की 13.12.2021 को आयोजित छठी बैठक में लिए गए निर्णय पर की गई कार्रवाई को आयोग के समक्ष रखा गया:-

- (क) आयोग ने इच्छा व्यक्त की कि सलाहकारों (सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों) और कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।
- (ख) आयोग को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि पुराने/अनुपयोगी वाहनों को हटाए जाने के बाद दो नए वाहन खरीदे गए हैं। आयोग चाहता है कि ऐसे सभी वाहन हटा दिए जाएं जिन्हें हटाने की आवश्यकता है और नए वाहनों की खरीद के समय, माननीय अध्यक्ष और माननीय उपाध्यक्ष के लिए दो इनोवा क्रिस्टा (सियाज के स्थान पर) के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को फाइल भेजी जाए।
- (ग) आयोग ने इस तथ्य पर संतोष व्यक्त किया कि बी.आई.एस.ए.जी.-एन आयोग केई-शिकायत प्रबंधन पोर्टल के रखरखाव और एफ.सी./डाक काउंटर के डिजिटलीकरण को एक परियोजना के रूप में लेने के लिए सहमत हो गया है और जनशक्ति प्रदान करने के लिए भी सहमत हो गया है। आयोग चाहता है कि इस मामले में आगे बढ़ने के लिए, आयोग की एक बैठक तुरंत महानिदेशक, बी.आई.एस.ए.जी.-एन के साथ आयोजित की जाए।

कार्यसूची मद 4: आयोग को उचित ब्रीफिंग के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को सलाह ।

लिया गयानिर्णयः

आयोग को अवगत कराया गया कि आयोग की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, न्यायाधीन मामलों, जो न्यायालय में लंबित हैं या वे मामले जिन पर न्यायालय पहले ही अपना अंतिम निर्णय दे चुका है, पर शिकायत/शिकायत याचिकाओं का कोई संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए। आयोग के सदस्यों [अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों] ने कहा कि आयोग द्वारा प्रक्रिया नियमावली के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। हालांकि, कभी-कभी जानबूझकर या अनजाने में ऐसे मामले पर शिकायत जो न्यायालयमेंविचाराधीन है या जिसमें न्यायालय द्वारा अंतिम फैसला लिया जा चूका है,आयोग द्वारा लिया जाता है। कभी-कभी ऐसे मामले सुनवाई के लिए या तो अनजाने मेंसूचीबद्ध हो जाते हैं या याचिकाकर्ता इस तथ्य को छपाता है कि मामला न्यायालयमेंविचाराधीन है या मामले में न्यायालय द्वारा अंतिम फैसला दे दिया गया है।यह निर्णय लिया गया कि आयोग के माननीय सदस्यों [अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों] को उनके संवैधानिक अधिदेश के निर्वहन में सहायता करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रक्रिया नियमावली के नियमों के प्रावधानों को दोहराते हुए एक परामर्श जारी किया जा सकता है।

प्राधिकरणों द्वारा;छोटे-छोटे मुद्दों यथा सुनवाई नोटिस जारी करने पर;आयोग के विरुद्ध न्यायालय में जाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर भी चर्चा हुई। आयोग का मत है कि आयोग के विरुद्ध प्राधिकारियों के न्यायालय जाने की इस प्रकार की बढ़ती प्रवृत्ति सेअलाभान्वित समुदाय के प्रति आयोग के संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने में बाधा आ रही है। यह निर्णय लिया गया कि कानून और न्याय मंत्रालय के सचिव के साथ-साथ उन संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के साथ आयोग की एक बैठक आयोजित की जाए, जो आयोग की सुनवाई नोटिस/सिफारिश को चुनौती देने के लिए न्यायालय पहुंचे हैं।

तालिका कार्यसूची और उस पर लिया गया निर्णय, यदि कोई हो:

1. आयोग को अवगत कराया गया था कि वर्ष 2004 में एक अलग आयोग के रूप में एन.सी.एस.सी. के गठन के बाद से आयोगमेमल्टी-टास्किंग स्टाफ (एम.टी.एस.) के पद के लिए भर्ती नियम (आर.आर.) में नहीं बनाया गया। जिसके कारण आयोग एम.टी.एस. के रिक्त पदों को भर नहीं पाया। वर्तमान में एम.टी.एस. के 59 स्वीकृत पदों में से 39 पद रिक्त हैं। आयोग को सूचित किया गया कि एम.टी.एस. के पद काभर्ती नियम (आर.आर.)का मसौदा तैयार कर लिया गया है और इसे अनुमोदन और अधिसूचना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भेजा जा रहा है। एम.टी.एस.पदके लिए भर्ती नियमतैयार होने के बाद, आयोग एम.टी.एस. के सभी रिक्त पदों को भरने में सक्षम होगा।

- आयोग ने इच्छा व्यक्त की कि अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग (एस.एस.सी.) के साथ माननीय अध्यक्ष, एन.सी.एस.सी. की बैठक आयोजित की जाए ताकि एस.एस.सी. को भेजे गए भर्ती प्रस्तावों पर तेजी से कार्रवाई की जा सके।
- 3. आयोग ने इच्छा व्यक्त की कि एन.सी.एस.सी. राज्य कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली यदि शुरू नहीं की गयी है तो उसकी शुरुआतकी जाए, नियमित और आउटसोर्स दोनों कर्मचारियों के वेतन को बायोमेट्रिक उपस्थिति के साथ जोड़ा जाए।

अंत में अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

| क्र.सं. | नाम और पदनाम | |
|---------|---|------------------|
| 1. | श्री विजय सांपला, माननीय अध्यक्ष, एनसीएससी | : अध्यक्ष |
| 2. | श्री अरुण हलदर, माननीय उपाध्यक्ष, एनसीएससी | |
| 3. | श्री सुभाष रामनाथ पारधी, माननीय सदस्य, एनसीएससी | |
| 4. | श्रीमती अंजू बाला, माननीय सदस्या, एनसीएससी | |
| 5. | श्रीमती उमपा श्रीवास्तव, सचिव, एनसीएससी | : ऑनलाइन मोड में |
| 6. | श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, एनसीएससी | |
| 7. | श्री कौशल कुमार, निदेशक, एनसीएससी | |
| 8. | श्री अजीत कुमार साहू, परामर्शदाता निदेशक एवं सलाहकार, एनसीएससी | |
| 9. | श्री जितेन्द्र सिहवाग, अवर सचिव, एनसीएससी | |
| 10. | श्री किशन चंद, अवर सचिव, एनसीएससी | |
| | | |

MINUTES OF 7TH FULL COMMISSION MEETING OF NCSC HELD ON 10.06.2022

At the outset, Hon'ble Chairman, National Commission for Scheduled Castes (NCSC) welcomed all the participants of 7th Full Commission Meeting of the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) held on 10th June, 2022 in the NCSC Headquarters. List of participants is at <u>Annexure-I</u>. The following Agenda items were taken up for discussion.

| Agenda Item No.1: | Confirmation of Minutes of the 6 th Full Commission Meeting held on |
|-------------------|---|
| | 13.12.2021. |
| Decision Taken: | Minutes of the 6 th Full Commission Meeting were approved unanimously. |
| Agenda Item No.2: | Matters for Appraisal of the Commission. |

- **Decision Taken:**
 - 1. The Commission was pleased to know that-
 - (a) After vigorously pursuing the matter with DOPT, DOPT has started posting CSS/ CSCS/ CSSS Officers/officials directly in the Commission. Now the Commission is not dependent on MSJE for posting of CSS/CSCS/CSSS Officers/officials. [Sl.No.1 of Agenda Item No.2]
 - (b) Aseparate account of the Commission has been opened with Staff Selection Commission (SSC) and now the Commission is able to send the recruitment proposal directly to SSC instead of routing it through MSJE. The Commission also noted that so far, proposal for filling 19 posts of Investigator, 04 posts of Senior Investigator & 06 posts of LDC has already been sent to SSC. [Sl.No.2(a), 2(c), 2(d) & 2(i) of Agenda Item No.2]
 - (c) After vigorously pursuing the matter with Ministry of Statistics & Programme Implementation (Mo S&PI) for posting of officers of Indian Statistical Service (ISS) in the Commission, one Deputy Director (ISS) has since been posted in the Commission and the Statistics Cell has since been set up in the Commission. Matter is still being pursued with Mo S&PI and ore officers from ISS is likely to be posted in the Commission soon. Statistics Cell is expected to transform the data collection & data analysis mechanism of the Commission.

[Sl.No.2(b) of Agenda Item No.2]

- (d) Applications have been initiated action for filling long vacant 06posts of Senior Investigator, 04 Research Officer & 01 post of Accountant on deputation basis. [Sl.No.2(d), 2(e) & 2(j) of Agenda Item No.2]
- (e) Applications have been invited for filling 06 posts of Director (Joint Cadre), 02 posts of Deputy Director (Joint Cadre) and 03 posts of Assistant Director (Joint Cadre) on deputation basis. These posts were vacant since long. This has been done to facilitate MSJE. MSJE is the cadre controlling authority for all Group 'A' Posts. [Sl.No.2(f), 2(g) & 2(h) of Agenda Item No.2]

(f) A proposal has been sent to MSJE; being the cadre controlling & appointing authority; for filling 03 posts of Assistant Director (Joint Cadre) Direct Recruitment Quota.

[Sl.No.2(f) of Agenda Item No.2]

(g) Matter is being pursued vigorously for filling the post of DIG (P) which is lying vacant since the year 2015. The Commission decided that the post of DIG (P) may be advertised by the Commission to facilitate MHA in filling the post of DIG (P), NCSC.

[Sl.No.2(k) of Agenda Item No.2]

- (h) Long pending bills have been cleared. At the same time, the Commission also stated that the records may be re-checked to make sure that no old bills are pending. If there is any bill which is pending for payment, the same may be processed/ cleared immediately and that henceforth all efforts shall be made to ensure timely processing & payment of bills. If there is any deficiency/discrepancy in the Bill, then the same shall be sorted out with the party concerned or with the records/state offices concerned, rather than keeping the same pending indefinitely.Further, since the service of outsourced agency with regard to timely payment to outsourced staff is not satisfactory, it has been desired by Secretary, NCSC that immediate action be taken for hiring another outsourcing agency and in the mean-time, the agency which is providing outsourced staff in MSJE (Department of Social Justice & Empowerment) may be hired for the time being so that the outsourced staff do not face difficulty in getting their wages in time. [Sl.No.3 of Agenda Item No.2]
- Budget re-conciliation process; which ought to have been done but was not being done in the Commission; has since been started. [Sl.No.4 of Agenda Item No.2]
- (j) A presentation by Deputy Adviser, NITI Aayog was organized in the Commission to increase awareness of the Commission Members and Officers. This is bound to result in more effective implementation of mandate of the Commission. The Commission has desired that such meetings/presentations may be organized periodically. [Sl.No.5 of Agenda Item No.2]
- (k) New office space allotted for NCSC State Office Lucknow has since been renovated and that State Office Lucknow has started functioning from the new office premises. [Sl.No.6 (b) of Agenda Item No.2]
- NCSC State Office at Guwahati has started functioning from the new rented accommodation as there were lot of issues with the previous landlord. [Sl.No.6 (c) of Agenda Item No.2]

- 2. With respect to allotment of office space for NCSC Headquarters at 4th floor, Lok Nayak Bhawan, it has been decided by the Commission that the Commission will not pay for the expenditure incurred on renovation by Appellate Tribunal for Forfeited Properties (ATFP) as the customized renovation work got done by ATFP is of no use of the Commission. It was further decided that formalities for taking possession of office space at 4th may be completed immediately. [Sl.No.6 (a) of Agenda Item No.2]
- 3. With respect to allotment of office space for State Office at Kolkata [wherein instead of requested 3,000-3,5000 sq. ft of office space at CGO Complex, 1200 sq. ft. of office space has been provided at Nizam Palace] and allotment of office space for State Office Mumbai [wherein M/o HUA is yet to allot office space], the Commission desired that the Secretary, M/o HUA may be called for a meeting to sort out these long pending issues.
 [Sl.No.6 (d) & 6(e) of Agenda Item No.2]

4. The Commission expressed its pleasure over the fact that now about 80% procurements are made through GeM; instead of the earlier 20%. Further, with regard to procurement of IT Infrastructure for NCSC HQ and NCSC State Offices it was

- to procurements are made through GeM; instead of the earlier 20%. Further, with regard to procurement of IT Infrastructure for NCSC HQ and NCSC State Offices it was decided that specifications of the different items that is required to be procured may be finalized in consultation with NIC. [Sl.No.7 of Agenda Item No.2]
- 5. With respect to completion of pre-appointment formalities of co-terminus staff it was decided by the Commission that this is purely an administrative matter and this shall be dealt with b Admin Division appropriately. This Agenda Item may be treated as deleted from the Agenda Item.

Agenda Item No.3:ATR on Decision taken in 6th Full Commission Meeting held on
13.12.2021.Decision Taken:With respect to ATR placed before the Commission on the decisions
taken in the 6th Full Commission Meeting held on 13.12.2021: -

- (a). The Commission desired that the exercise for engagement of Consultants (Retired Government Servants) and Legal Consultants may be completed on priority.
- (b). The Commission was pleased to know that two new vehicles have been purchased after condemnation of old/unserviceable vehicles. The Commission desired that all such vehicles which can be condemned be condemned immediately and at the time of procurement of new vehicles, file may be sent to MSJE for two Innova Crysta (instead of CIAZ) for Hon'ble Chairman and Hon'ble Vice-Chairman.
- (c). The Commission expressed its satisfaction over the fact that BISAG-N has agreed to take on assignment of maintenance of e-Grievance Management Portal and Digitization of FC/DAK Counter of the Commission as a project and has also agreed to provide manpower. The Commission desired that to proceed ahead in the matter, a meeting of the Commission may immediately be organized with Director General, BISAG-N.

Agenda Item No.4: Advisory to Officers & Staff for proper briefing to the Commission.

Decision Taken:

The Commission was apprised that as per Rules of Procedure of the Commission, no cognizance of complaint/grievance petitions is to be taken on sub-judice matters, matter which is pending in court or matter in which a court has already given its final verdict. The Commission Members [Chairman/ Vice-Chairman/ Members] stated that by & large Rules of Procedure is being followed by the Commission. However, sometimes knowingly or unknowingly complaint/grievance on matter which is sub-judice or wherein a final verdict has been given by a court is taken up by the Commission. Some-times such cases get listed for hearing either due to oversight or because the petitioner conceals the fact that the matter is sub-judice or that a final verdict has been given by a court in the matter. It was decided that an advisory reiterating provisions of Rules of Procedure to sensitize the may be issued to Officer & staff who assist Hon'ble Members [Chairman/ Vice-Chairman/ Members] of the Commission in discharging their constitutional mandate.

Issue of increasing trend of authorities going to Court, against the Commission over trivial issues say issuing of hearing notice was also discussed. The Commission opined that such increasing trend of authorities going to Court against the Commission is coming in the way of discharging constitutional mandate of the Commission towards marginalized community. It was decided that a meeting of the Commission may be organized with Secretaries of the Ministry/Department concerned which approaches Court challenging hearing notice/recommendation of the Commission along with Secretary, M/o Law & Justice.

Table Agenda & Decision Taken thereon, if any:

- 1. The Commission was apprised that Recruitment Rules (RR) for the post of Multi-Tasking Staff (MTS) was not amended/framed ever since the formation of NCSC as a separate Commission in the year 2004. Due to which, the Commission has not been able to fill the vacant post of MTS. At present, out of 59 sanctioned posts of MTS, 39 posts are vacant. The Commission was informed that draft recruitment to the post of MTS since been prepared and the same is being sent to MSJE for approval & notification. Once the RR for the post of MTS is ready, the Commission would be able to fill all the vacant posts of MTS.
- 2. The Commission desired that a meeting of Hon'ble Chairman, NCSC with Chairman, Staff Selection Commission (SSC) may be organized so that the recruitment proposals sent to SSC may get expedited.
- 3. The Commission desired that Biometric Attendance System may be introduced in NCSC State Offices, if not already done, both for regular as well as outsourced staff and that the salary be linked with attendance of Biometric Attendance.

The meeting ended with vote of thanks to the chair.

| S.N. | Name & Designation | |
|------|--|---------------|
| 1. | Shri Vijay Sampla, Hon'ble Chairman, NCSC | : in Chair |
| 2. | Shri Arun Halder, Hon'ble Vice-Chairman, NCSC | |
| 3. | Shri Subhash Ramnath Pardhi, Hon'ble Member, NCSC | |
| 4. | Smt. (Dr.) Anju Bala, Hon'ble Member, NCSC | |
| 5. | Smt. Upma Srivastava, Secretary, NCSC | : online mode |
| 6. | Shri Gyaneshwar Kumar Singh, Joint Secretary, NCSC | |
| 7. | Shri Kaushal Kumar, Director (HQ & Admn.), NCSC | |
| 8. | Shri Ajit Kumar Sahu, Cons. Dir. & Adv., NCSC | |
| 9. | Shri Jitendra Sihwag, Under Secretary, NCSC | |
| 10. | Shri Kishan Chand, Under Secretary, NCSC | |